भारतीय कानून की रिपोर्ट

लेटर्स पेटेंट अपील

समक्ष: मेहर सिंह सी.जे. और आर.एस. नरूला, जे.

सुरेश कुमार और एक अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य, - *उत्तरदाता।*

1966 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 181

6 मार्च, 1968।

भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 309 - लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें - कैसे विनियमित - पहले से मौजूद कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देशों के तहत सरकारी कर्मचारी को प्राप्त अधिकार - क्या सरकार द्वारा किसी अन्य कार्यकारी निर्देश द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से हटाया जा सकता है - प्रशासनिक निर्देश - वैधानिक कब हैं - अनुच्छेद 226उच्च न्यायालय की शक्ति - कार्यकारी निर्देशों द्वारा किसी नागरिक के नागरिक अधिकार को छीनना - उच्च न्यायालय - क्या हस्तक्षेप कर सकता है।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को (i) उपयुक्त विधायिका के अधिनियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है; (ii) जब तक उपयुक्त विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंध नहीं किया जाता है, और जहाँ तक मुख्यालय में ऐसा उपबंध किया गया है, संघ की सेवाओं के संबंध में भारत के राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि द्वारा और संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि द्वारा राज्य की सेवाओं के संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा; और (iii) वैध कार्यकारी अनुदेशों और प्रशासनिक निर्देशों द्वारा। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो। [पैरा 28]।

ये अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार के पास किसी सरकारी कर्मचारी के नागरिक अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से उसकी सहमति के अलावा केवल कार्यकारी आदेश द्वारा

पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जब तक कि सरकार कुछ वैध कानून के स्पष्ट प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो। जो अधिकार किसी सरकारी कर्मचारी को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और जो लाभ वह पहले से मौजूद कार्यकारी निर्देशों या प्रशासनिक निर्देश के तहत या उसके आधार पर पहले से ही प्राप्त कर चुका है, उन्हें किसी अन्य कार्यकारी निर्देश या केवल प्रशासनिक निर्देश द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं छीना जा सकता है।

[पैरा 31],

ये अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य अपने सेवकों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है कि कुछ परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, लेकिन यह ऐसे निर्देशों को वैधानिक नियम नहीं बनाएगा जो कुछ परिस्थितियों में न्यायोचित हैं, और यह कि ऐसे कार्यकारी निर्देशों को वैधानिक नियमों की शक्ति प्राप्त है, यह दिखाया जाना चाहिए कि वे या तो किसी क़ानून द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार के तहत या प्रदान किए गए संविधान के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। वजह।

[पैरा 39]

ये अभिनिर्धारित किया गया कि यदि सरकारी आदेशों में केवल कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देश शामिल हैं, तो पेटेंट होने पर भी उनका उल्लंघन सर्टिओरारी की रिट के मुद्दे को उचित नहीं ठहराएगा। कार्यकारी आदेश उचित रूप से तथाकथित किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कानूनी दायित्व नहीं लगाते हैं जिनके मार्गदर्शन के लिए वे जारी किए जाते हैं। लेकिन यदि किसी नागरिक के मौजूदा अधिकार को छीन लिया जाता है और किसी नागरिक को उक्त अधिकार से वंचित करने का एकमात्र कारण अपेक्षित कार्यकारी निर्देश हैं जो या तो मौजूद नहीं हैं या संबंधित व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित व्यक्ति के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय का विस्तार करने पर कोई रोक नहीं है। भारत का संविधान।

[पैरा 37 और 38]

माननीय श्री एफ सी पंडित* के दिनांक 19 अप्रैल, *1966 के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खण्ड 10 के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील सिविल रिट सं 2010 में पारित की गई थी।1965

का ***2983।***

प्रीतम सिंह जैन और एन.सी. जैन, याचिकाकर्ता के वकील।

सी. डी. दीवान, डिप्टी एडवोकेट-जनरल, एच/सियाना, एस.एस. उत्तरदाताओं के वकील दीवान और राजिंदर सच्चर ने पक्ष रखा।

आदेश

नरूला, जे.- इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज करने के खिलाफ इस लेटर्स पेटेंट अपील को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों पर सबसे पहले ध्यान दिया जा सकता है।

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के प्रारंभिक गठन के लिए दिनांक 22 जून, 1949 (अनुलग्नक 'आर-2') के अनुदेशों के पैरा 8 के अनुसरण में और उनके अनुसार, उसी तारीख का परिपत्र संख्या 30/49-आर (रिट याचिका का अनुलग्नक 'ए'), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अन्य बातों के *साथ-साथ* यह निर्देश देते हुए कि भारत सरकार और संबद्ध कार्यालयों में सभी अस्थायी और स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता,

1 जनवरी, 1944 के बाद नियुक्त या नाम-निर्देशित, एक ही सूची में व्यवस्थित किया जाएगा और क्लर्क ग्रेड में संबंधित पदधारियों की निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर तय किया जाएगा। परिपत्र के अन्य निर्देशों में इस अपील पर निर्णय लेने के लिए हमारी कोई चिंता नहीं है।

3. सुरेश कुमार अपीलकर्ता, नंबर 1 और तारा चंद जैन, अपीलकर्ता, नंबर 2 को 9 अक्टूबर, 1950 और 26 नवंबर, 1951 को लोअर डिवीजन क्लर्क नियुक्त किया गया था; क्रमानुसार। उन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल में तैनात किया गया था। उनके नाम 22 जून, 1949 के परिपत्र के अनुसार लोअर डिवीजन क्लर्कों की सामान्य वरिष्ठता सूची में लाए गए थे (इसके बाद 1949 परिपत्र के रूप में संदर्भित)।

4. करनाल के मेडिकल स्टोर डिपो में सेवारत ओ. पी. आनंद ने सेवा की अवधि के अनुसार अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। उनके अभ्यावेदन को केन्द्र सरकार को अग्रेषित किए जाने पर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निम्नलिखित निर्णय को श्री आनंद की जानकारी के लिए दिनांक 6 सितम्बर, 1952 (रिट याचिका के अनुलग्नक 'सी' के ज्ञापन) में सूचित किया गया था -

\

"श्री ओ पी आनंद, कृपया सूचित करें कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार कि एक ग्रेड में वरिष्ठता, एक सामान्य नियम के रूप में, ग्रेड में निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर या समकक्ष ग्रेड में निर्धारित की जानी चाहिए, इस निदेशालय द्वारा यह अंतिम निर्णय लिया गया है कि कार्यालय क्लर्कों के संबंध में एक संयुक्त एकल वरिष्ठता सूची रखी जानी चाहिए। स्टोर सहायक और स्टोर क्लर्क (जो 1 जनवरी, 1947 से वेतन का एक ही पैमाना ले रहे हैं) उन ग्रेड में निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर। इस संबंध में यह कहा जाना चाहिए कि इन सभी पदों के लिए एक समान पैमाना भारत सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है कि उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समान वजन है।

5. उत्तरदाताओं एनसी 4 से 13 को लोअर डिवीजन के रूप में नियुक्त किया गया था। जून, 1953 और नवंबर, 1959 के बीच अलग-अलग तारीखों पर क्लर्क। उनकी वरिष्ठता 1949 के परिपत्र के संदर्भ में तय की गई थी, जो उससे काफी नीचे थी। अपीलकर्ताओं के बारे में। सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो, कैलकल्टा द्वारा कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की पुष्टि के संबंध

में किए गए एक संदर्भ पर! आरक्षित पदों पर *और* अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में, नई दिल्ली निदेशालय ने 15 अक्टूबर, 1959 के अपने पत्र (रिट याचिका के अनुबंध 'ई') में निम्नानुसार जवाब दिया: –

> "जिन सेवाओं/ग्रेडों में वरिष्ठता भारत सरकार, गृह मंत्रालय के 22 जून, 1949 के आदेश संख्या 30/44/48-एप्ट्स में निहित आदेशों के अनुसार तय की जाती है, केवल उन व्यक्तियों को, जिन्हें 1 जनवरी, 1944 से पहले स्थायी या अर्ध-स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, दूसरों से वरिष्ठ माना जाएगा। उस तारीख को या उसके बाद नियुक्त किए गए व्यक्तियों को एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए, चाहे वे स्थायी, अर्ध-स्थायी या अस्थायी हों और ग्रेड में या समकक्ष ग्रेड में निरंतर सेवा की कुल लंबाई के संदर्भ में वरिष्ठता सूची को व्यवस्थित किया गया हो। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऊपर उल्लिखित 22 जून, 1949 के *आदेशों के तहत, पुष्टि की तारीख 1 जनवरी, 1944 को या उसके बाद किसी विशेष ग्रेड में* नियुक्त लोगों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने का मानदंड नहीं है; न ही उन आदेशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि 1944 से पहले के कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, किसी विशेष ग्रेड में पहले पुष्टि किए गए व्यक्ति उस ग्रेड में बाद में पुष्टि किए गए लोगों से वरिष्ठ होंगे।
>
> ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, 1 जनवरी, 1944 को या उसके बाद एक ग्रेड में नियुक्त किए गए अन्य समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता ग्रेड या समकक्ष ग्रेड में निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर तय की जानी चाहिए, चाहे वे स्थायी, अर्ध-स्थायी या अस्थायी हों। आपके ज्ञापन सं 2008 के अंतर्गत प्राप्त सूची। पीई-2/2345/(III)/21992, दिनांक 5 जनवरी, 1959 के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है और सूचना और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

6. इस मामले पीछे मुड़कर देखें तो जो कुछ हुआ वह पिछड़े वर्गों आदि के लिए कुछ रिक्तियों के आरक्षण की गणना पर था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 से 11 तक के वर्ग के उत्तरदाता संख्या 4 से 11 तक थे, उनकी पुष्टि 22 दिसंबर, 1959 से पहले विभिन्न तिथियों पर की गई थी। अपीलकर्ताओं के सामने (जो उत्तरदाता संख्या 4 से 11 की तुलना में अधिक समय तक सेवा में रहे थे, और जो चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं से वरिष्ठ रैंकिंग कर रहे थे) की पुष्टि की जा सकती है, 22 दिसंबर, 1959 (अनुबंध 'आरआर 6') को भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1949 के परिपत्र में निहित निर्देशों में निहित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है "अब उन निर्देशों को लागू करने का कोई कारण नहीं है। वरिष्ठता के

निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों को प्राथमिकता दें। इसके बाद परिपत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

"इसमें कहा गया है, 'इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि *इन* निर्देशों की तारीख के बाद *विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में* नियुक्त *सभी व्यक्तियों की वरिष्ठता* यहां संलग्न सामान्य सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए"

"उपरोक्त पैराग्राफ 1 में उद्धृत विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों में निहित निर्देश *इसके द्वारा हैं* उनमें शामिल हैं *रद्द कर दिया गया, सिवाय इसके* 1949 के निर्धारण के संबंध में व्यक्तियों की वरिष्ठता *नियुक्त* विभिन्न के लिए परिपत्र।केंद्रीय सेवाएं *पूर्व* इस कार्यालय की तारीख तक ज्ञापन। अनुबंध में सन्निहित संशोधित सामान्य सिद्धांत *पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होंगे*, बल्कि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे, जब तक कि किसी विशेष सेवा/ग्रेड के संबंध में एक अलग तारीख नहीं है, जहां से वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए इन संशोधित सिद्धांतों को अपनाया जाना है।

(मेरे द्वारा रेखांकित किया गया है- यहाँ लिखा गया है)।

(7) 1959 के परिपत्र में संलग्न "सामान्य सिद्धांत" के पैराग्राफ 2 और 3 इस प्रकार पढ़े गए हैं: –

"2. नीचे पैराग्राफ 3 के प्रावधान के अधीन रहते हुए, इन सामान्य सिद्धांतों के जारी होने से पहले एक ग्रेड में एक वास्तविक या कार्यवाहक क्षमता में नियुक्त व्यक्ति अपने मामलों पर लागू मौजूदा आदेशों के तहत उन्हें पहले से सौंपी गई सापेक्ष वरिष्ठता को बनाए रखेंगे और उस ग्रेड के अन्य सभी लोगों से वरिष्ठ होंगे।

स्पष्टीकरण--इन सिद्धांतों के प्रयोजनों के लिए (क) ऐसे व्यक्ति जिनकी इन सामान्य सिद्धान्तों के जारी होने से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पुष्टि की गई है; और (ख) इन सामान्य सिद्धान्तों के जारी होने से पूर्व ग्रेड में मूल रूप से रिक्त स्थायी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को ग्रेड का स्थायी अधिकारी माना जाएगा।

3. नीचे पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक ग्रेड के स्थायी अधिकारियों को उन व्यक्तियों से वरिष्ठ दर्जा दिया जाएगा जो उस ग्रेड में कार्य कर रहे हैं।

8. दोनों अपीलकर्ताओं की पुष्टि 31 मार्च, 1960 को की गई थी। 1949 के परिपत्र के अनुसार सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित उनकी वरिष्ठता के आधार पर, प्रत्येक अपीलकर्ता को 12 सितंबर, 1962 से अगले उच्च रैंक पर पदोन्नत किया गया था, यानी कार्यवाहक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में।

9. सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, पार्क टाउन, मद्रास में सेवारत लोरिस डिवीजन क्लर्क्ज़ की वरिष्ठता सूची जे को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 5 मार्च, 1963 के अपने पत्र के साथ वापस कर दिया गया था, क्योंकि उक्त सूची उस तारीख के बाद नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में 22 दिसंबर, 1959 के भारत सरकार के पत्र के संलग्न निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। उस तारीख के बाद नियुक्त किए गए क्लर्कों के संबंध में, उक्त पत्र (दिनांक, 5 मार्च, 1963) में इसे निम्नानुसार दोहराया गया था: –

"22 दिसंबर, 1959 के बाद सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के संबंध में, वरिष्ठता 22 दिसंबर, 1959 के ओएम के प्रावधान के अनुसार तय की जानी चाहिए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और स्पष्ट किया गया है।'

(इस पत्र की प्रति प्रतिवादियों द्वारा हमारे आदेश के अनुसरण में 24 जनवरी, 1968 को TH^IR सूचकांक के साथ दायर की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ केंद्रीय सेवाओं की सीधी भर्ती की पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में कानूनी स्थिति के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न हुए थे, जैसा कि उस मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे गए यूओ नोट द्वारा उल्लेख किया गया था। इस मामले को गृह मंत्रालय ने अपने नोट के साथ लौटा दिया था। 20 मार्च, 1963 को यू.ओ. डिस्पैच अनुमोदन के तहत, दिनांक 31 मार्च, 1963, जिसके पैराग्राफ 2 में नोट स्पष्टीकरण दिए गए थे; जो नहीं हैं

हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, और अनुच्छेद 3 जिसमें से नोट निम्नानुसार पढ़ा गया है: –

मैं

पत्र में कहा गया है, 'संयोग से यह उल्लेख किया जा सकता है कि 22 दिसंबर, 1959 के हमारे कार्यालय ज्ञापन में निहित वरिष्ठता सिद्धांतों के अनुसार, 22 दिसंबर, 1959 से पहले पुष्टि किए गए व्यक्तियों को *उस* तारीख के बाद पुष्टि किए गए अन्य लोगों की तुलना में वरिष्ठ माना जाना चाहिए. इसलिए पर्ची 'ए' पर वरिष्ठता सूची में संशोधन की आवश्यकता है। सूची को संशोधित करने से पहले इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि 22 दिसंबर, 1959 के बाद क्रम संख्या 1, 3, 8 और 18 के व्यक्तियों की सेवा की अवधि के आधार पर उनकी उच्च वरिष्ठता के बावजूद पुष्टि क्यों की गई थी। *यदि उन्हें देर से पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें पुष्टि के लिए फिट घोषित नहीं किया गया था, तो वे अपनी वरिष्ठता हासिल नहीं करेंगे।*

स्वास्थ्य मंत्रालय कृपया देख सकता है। यदि हमारे आदेशों की व्याख्या के बारे में अभी भी कोई संदेह है, तो इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा टेलीफोन पर तय की जाने वाली सुविधाजनक तारीख पर चर्चा की जा सकती है।

10. प्रतिवादियों का मामला यह है कि गृह मंत्रालय से 31 मार्च, 1963 के यू.ओ. नोट की एक प्रति प्राप्त होने पर, निदेशालय ने 19 जून, 1963 को परिपत्र पत्र जारी किया (रिट याचिका का अनुबंध 'जी')। उक्त पत्र स्वास्थ्य निदेशालय के 5 मार्च, 1963 के पत्र (पहले ही संदर्भित) को जारी रखते हुए जारी किया गया था और इसमें 20/31 मार्च, 1963 के गृह मंत्रालय के नोट की कुछ सामग्री की शब्दश: प्रति थी, लेकिन ऊपर उद्धृत उक्त नोट के पैराग्राफ से हटा दिया गया था:

"अगर उनके नाम की पुष्टि देर से की गई क्योंकि उन्हें पुष्टि के लिए फिट घोषित नहीं किया गया तो वे अपनी वरिष्ठता हासिल नहीं कर पाएंगे।"

*

11. सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल ने निदेशालय से प्राप्त निर्देशों से समझा कि लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता को उनकी पुष्टि की तारीखों के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाना था, न कि केवल सेवा की लंबाई के आधार पर। इसलिए, एक संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी, जिसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को वरिष्ठ बनाया गया था |

अपीलकर्ता सुरेश कुमार अपीलकर्ता ने 20 जुलाई, 1963 (अनुबंध 'जे') को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेवा की लंबाई के आधार पर लोअर डिवीजन क्लर्क के कैडर में उनकी वरिष्ठता पहले ही स्थापित और अनुमोदित की जा चुकी है, और इसमें कोई

भी बदलाव करना उन पर लागू सेवा की शर्तों के विपरीत होगा। उन्होंने आगे कहा कि 1959 के परिपत्र पत्र के अनुलग्नक के पैराग्राफ 2 और 3 में निहित निर्देश केवल 22 दिसंबर, 1959 के बाद नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होते हैं, न कि अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों पर जो उस तारीख से पहले सेवा में शामिल हुए थे। इसलिए, अपीलकर्ता संख्या 1 ने अनुरोध किया कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए संशोधित सिद्धांत को उस पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, और उसे उस आधार पर अपर डिवीजन क्लर्क के पद से वापस नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह के अभ्यावेदन तारा चंद जैन, अपीलकर्ता नंबर 2 और कुछ अन्य प्रभावित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिन्होंने लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता सूची में बदलाव के कारण पुनरावृत्ति की आशंका जताई थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 22 अक्टूबर, 1963 के अपने ज्ञापन (रिट याचिका के अनुलग्नक 'के') में करनाल प्राधिकरण को लिखा कि 12 सितंबर, 1962 को अपीलकर्ताओं और कुछ अन्य व्यक्तियों को "गलत वरिष्ठता के आधार पर" पदोन्नत करके अपनाए गए पाठ्यक्रम ने वरिष्ठ व्यक्तियों के हितों को प्रभावित किया था, और इसलिए, उक्त पाठ्यक्रम वांछनीय नहीं था। तत्पश्चात् इसे ज्ञापन में जोड़ा गया :-

> "इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि वरिष्ठ व्यक्तियों को उचित अवधि (जैसे छह महीने) के भीतर उच्च ग्रेड में समायोजित किया जा सकता है, तो कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों की रक्षा करनी होगी, यदि उन्हें अन्यथा पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है।
>
> उपरोक्त निर्णय गृह मंत्रालय के परामर्श से लिया गया है और इसे अंतिम माना जाना चाहिए।"

12. संबंधित कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में 3 दिसंबर, 1965 (रिट याचिका के अनुलग्नक 'एल') को लिखे गए एक पत्र में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राजकीय मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल को 1959 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न ग्रेड में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने और वरिष्ठता सूची की एक प्रति निदेशालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इसके रिकॉर्ड के लिए और यह भी जांच और पुष्टि करने के लिए कि 1959 के परिपत्र का उल्लंघन करते हुए तब तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई थी। उपर्युक्त पत्राचार के परिणामस्वरूप, एक संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी जिसमें सुरेश कुमार और तारा चंद जैन अपीलकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रम संख्या 40 और 42 में दिखाए गए थे, और उत्तरदाताओं संख्या 4 से 11 के नाम क्रमशः सीरियल नंबर 32, 33, 36, 37, 34, 39 और 38 में दिखाए गए थे। उक्त संशोधित वरिष्ठता सूची की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'एच-एल' में दी गई है। अपीलकर्ताओं के कनिष्ठ हो जाने के परिणामस्वरूप, उनकी रैंक कम कर दी गई और उन्हें 4 दिसंबर, 1965 से लोअर डिवीजन क्लर्क के उनके मूल पदों पर वापस लाया गया। इन परिस्थितियों में दोनों अपीलकर्ताओं ने 8 दिसंबर, 1965 को इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें 19 जून को जारी किए गए पत्र को रद्द करने और रद्द करने की मांग की गई थी।1963 (अनुलग्नक 'जी'), और 3 दिसंबर,1965 (अनुलग्नक 'एल'), और संशोधित वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक 'एच-एल') और प्रतिवादियों संख्या 1 से 3 (भारत संघ, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, और उप सहायक महानिदेशक, मेडिकल स्टोर, करनाल) को उक्त निर्देशों को लागू न करने का निर्देश देने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं का प्रत्यावर्तन होता है, और ऐसे अन्य वाद* सक्षम रिट, आदेश या निर्देश के लिए जो मामले की परिस्थितियों के तहत उपयुक्त समझा जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 से 13, जिनमें से अकेले प्रतिवादी संख्या 4 से 11 अब इस मामले के फैसले से अपनी वरिष्ठता में प्रभावित होने की संभावना है, को शुरू में रिट याचिका में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में एकल न्यायाधीश के समक्ष माम ले के लंबित रहने के दौरान उन्हें प्रतिवादियों की सूची में शामिल कर लिया गया।

13. इस याचिका में 14 फरवरी, 1966 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव श्री अमर नाथ वर्मा के हलफनामे का लिखित विवरण पत्र दायर किया गया था। भौतिक तथ्य विवादित नहीं थे। संबंधित मुद्दे पर कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में उत्तरदाताओं की वापसी के पैराग्राफ 3 में समझाया गया था: –

"22 दिसंबर, 1959 से पहले, ग्रेड के सभी स्थायी उक्त अस्थायी कर्मचारियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/44/48-एप्ट्स के प्रावधानों के अनुसार ग्रेड में या समकक्ष ग्रेड में निरंतर सेवा की उनकी कुल लंबाई के संदर्भ में एकल वरिष्ठता सूची में व्यवस्थित किया जाना आवश्यक था। दिनांक 22 जून, 1949

का उल्लेख ऊपर पैराग्राफ 2 में। हालांकि, इस तरह से व्यवस्थित वरिष्ठता सूची को 22 दिसंबर, 1959 को संशोधित करने की आवश्यकता थी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित ग्रेड में पुष्टि किए गए सभी लोगों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/1 1/55-आरपीएस के अनुलग्नक के पैराग्राफ 2 के अनुसार रखा गया था। दिनांक 22 दिसम्बर 1959. तदनुसार, जिन याचिकाकर्ताओं को 22 दिसंबर, 1959 को लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में पुष्टि नहीं की गई थी, वे उन लोगों से जूनियर हो गए, जिन्हें उस तारीख को पहले से ही पुष्टि की गई थी। 22 दिसंबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन की गलत व्याख्या के कारण, हालांकि, याचिकाकर्ताओं को लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में 22 दिसंबर, 1959 को पहले से ही स्थायी लोगों के रूप में वरिष्ठ माना गया था, और उन्हें पदोन्नत किया गया था। उस आधार पर अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में। हालांकि, जब 22 दिसंबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन की गलत व्याख्या, अधिकारियों के ध्यान में आई, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर वापस कर दिया, और इसके बजाय वरिष्ठ व्यक्तियों अर्थात् सर्वश्री सीता राम, वस्ती राम और गुरदयाल सिंह को पदोन्नत किया, इस प्रकार त्रुटि को सुधारा। लेकिन इस याचिका के लंबित होने के कारण इस प्रकार आदेशित पदोन्नतियों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख सही नहीं है।

14. पुन यह कहा गया था कि *अन्य बातों के साथ-साथ* लिखित वक्तव्य के पैरा 5 से 9 में निम्नानुसार कहा गया है -

"इसमें कहा गया है, 'यह उल्लेख किया जा सकता है कि गृह मंत्रालय का 22 दिसंबर, 1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आरपीएस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 20 दिसंबर, 1963 को गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ था. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि 22 दिसंबर, 1959 को गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आरपीएस में जारी वरिष्ठता निर्धारित करने के संशोधित आदेशों का उद्देश्य इस कार्यालय ज्ञापन की तारीख के बाद भर्ती किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करना था, सही नहीं है। यह सामान्य सिद्धांतों के पैराग्राफ 2 से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह व्यक्तियों की दो श्रेणियों को संदर्भित करता है - जिन्हें

नियुक्त किया गया है 22 दिसंबर, 1959 से पहले, और उस तारीख को या उसके बाद नियुक्त किए गए लोग। पैराग्राफ में आगे स्पष्ट किया गया है कि जो लोग सामान्य सिद्धांतों के जारी होने से पहले एक ग्रेड में एक ग्रेड में मूल या कार्यवाहक (जिसमें अस्थायी शामिल हैं) क्षमता में नियुक्त किए गए हैं, वे पहले से ही उन्हें सौंपी गई सापेक्ष वरिष्ठता को बनाए रखेंगे और उस ग्रेड के अन्य सभी लोगों से वरिष्ठ होंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सामान्य सिद्धांतों में 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता को विनियमित करने का प्रावधान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य सिद्धांतों के पैराजीआरपीएच 2 के प्रावधान उसके पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन हैं, यह इस प्रकार है कि 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, सभी स्थायी व्यक्ति ग्रेड में कार्यवाहक/अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे और ऐसे स्थायी कर्मचारियों और उनकी संबंधित श्रेणियों में कार्यवाहक/अस्थायी कर्मचारियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता, जैसा कि 22 दिसंबर, 1959 से पहले निर्धारित किया गया था, अबाधित रहेगा। वास्तव में सामान्य सिद्धांतों के पैराग्राफ 3 को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों की पुष्टि 22 दिसंबर, 1959 के बाद की तारीख से की गई थी। पुष्टि की तारीख पर उन व्यक्तियों से भी वरिष्ठ होगा जो एक ग्रेड में कार्यवाहक या अस्थायी हैं, भले ही ऐसे कार्यवाहक या अस्थायी व्यक्ति 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किए गए हों।

22 दिसंबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 के अंतिम वाक्य में कहा गया है, 'इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद इन निर्देशों की तारीख के बाद विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त सभी व्यक्तियों की वरिष्ठता यहां संलग्न सामान्य सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यह वाक्य ऊपर पैराग्राफ 1 में इंगित स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। यह वाक्य केवल इतना कहता है कि 22 दिसंबर, 1959 के बाद नियुक्त कोई भी व्यक्ति वरिष्ठता के इन सामान्य सिद्धांतों द्वारा शासित होगा।

कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 3 के दूसरे वाक्य में कहा गया है कि 'अनुबंध में सन्निहित संशोधित सामान्य सिद्धांत पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होंगे, लेकिन इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे, जब तक कि किसी विशेष के संबंध में कोई अलग तारीख न हो।

सेवा/ग्रेड जहां से वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से इन संशोधित सिद्धांतों को अपनाया जाना है, गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही या इसके बाद सहमति व्यक्त की जा चुकी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संशोधित सिद्धांतों में 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता को विनियमित करने का प्रावधान शामिल है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ (1) में बताया गया है।

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 22 दिसंबर, 1959, न केवल 22 दिसंबर, 1959 को या उसके बाद नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता को विनियमित करता है, बल्कि 22 दिसंबर से प्रभावी रूप से विनियमित भी करता है।1959, उन लोगों की वरिष्ठता उस तारीख से पहले नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/45/60-ईएसटी के तहत जारी किए गए आगे के स्पष्टीकरण आदेशों का अवलोकन। (घ) दिनांक 20 अपै्रल, 1961 को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेगा। 20 अप्रैल, 1961 के पत्र की एक प्रति संलग्न है- अनुलग्नक 'आर-9'। इन पैराग्राफ में याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा इस प्रकार पूरी स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

15. पैराग्राफ 23 (जी) में यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं (हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं) को "1959 के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वापस कर दिया गया था।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 19 अप्रैल, 1966 के अपने फैसले द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों पर रिट याचिका को खारिज कर दिया: –

    1. सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को एकतरफा बदल सकती है, भले ही परिवर्तन उन सभी या कुछ के नुकसान के लिए हो;

    2. यदि रिट याचिकाकर्ता 1949 के निर्देशों (अनुबंध आर -2) पर अपने दावे का आधार बना सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 4 से 13, जिन्हें अब उनकी पूर्व पुष्टि के कारण रिट याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ बना दिया गया था, वे भी 22 दिसंबर, 1959 के इसी तरह के सरकारी निर्देशों पर अपने बचाव के लिए भरोसा कर सकते थे, (राज्य की वापसी से जुड़े अनुबंध 'आर -6' के अनुरूप रिट याचिका का अनुबंध 'एफ');

3. यहां तक कि अगर रिट याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि 1959 के निर्देशों ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से बचाया था और गृह मंत्रालय ने बाद में मंत्रालय के 19 जून, 1963 के निर्देशों (अनुबंध 'जी') में उक्त अनुबंध की गलत व्याख्या की थी, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया था, सही था, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कई कार्यालय ज्ञापन रिकॉर्ड में थे, जिन्होंने स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था कि 22 दिसंबर, 1959 से, सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता - पूर्व या वर्तमान - उनकी पुष्टि की तारीख से नियंत्रित होनी चाहिए, न कि उनकी सेवा की अवधि से। इस निष्कर्ष के लिए रिलायंस को 20 अप्रैल, 1961 के अनुलग्नक 'आर-9' और 19 जून, 1963 की रिट याचिका के अनुलग्नक 'जी' पर रखा गया था। चूंकि उक्त दो अनुदेश (अनुलग्नक 'आर-9' और 'जी') गृह मंत्रालय द्वारा भी जारी किए गए थे, जिसने 1959 का परिपत्र (अनुलग्नक 'आर-2') जारी किया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता अपने दावे को आधार बना रहे थे, इसलिए वे बाद के निर्देश जारी करने के गृह मंत्रालय के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते थे।

4. यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा 1959 के अनुदेशों (अनुलग्नक आर-6) पर की गई व्याख्या सही थी या रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उन निर्देशों पर रखी गई व्याख्या सही थी, क्योंकि मामले की परिस्थितियों में यह गृह मंत्रालय की व्याख्या है जिसे प्रबल होना चाहिए क्योंकि मंत्रालय एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी करके भी सेवा की शर्तों को बदल सकता है;

5. रिट याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन था, किसी भी अनुमति से रहित था;

6. 1949 के परिपत्र (अनुलग्नक 'आर-2') में निहित सरकार के अनुदेशों को संविधान के अनुच्छेद 13 में परिभाषित "कानून" का दर्जा प्राप्त नहीं है; और

7. उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए विवाद पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि 1949, परिपत्र और 1959

अनुदेश केवल प्रशासनिक प्रकृति के थे और रिट याचिकाकर्ताओं को कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते थे, जिनके उल्लंघन का विरोध किया जा सकता था।

17. अपीलकर्ताओं के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान> अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एन. पीतामली सिंह ने विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को गंभीरता से नहीं लिया कि सेवा नियमों को मौजूदा पदाधिकारियों के नुकसान के लिए एकतरफा बदला जा सकता है, और यह कि

1949 के परिपत्र के साथ-साथ 1959 के परिपत्र को केवल प्रशासनिक निर्देशों के रूप में माना जा सकता है, जिसमें इस योग्यता के साथ कि वे निर्देश ऐसे थे। अपीलकर्ताओं के नागरिक अधिकारों को प्रभावित किया। हालांकि, उन्होंने इस अपील में केवल निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया: -

i. 1959 के परिपत्र में विशेष रूप से और स्पष्ट रूप *से* उन सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता को बनाए रखा गया था - अस्थायी, स्थायी या कार्यवाहक - जिन्होंने 22 दिसंबर, 1959 से पहले सेवा में प्रवेश किया था, और किसी भी तरह से उन्हें या उनकी वरिष्ठता को प्रभावित करने का इरादा भी नहीं रखता है;

ii. भले ही 1959 के परिपत्र के अनुलग्नक को दिसंबर, 1959 से पहले के प्रवेशकों पर लागू किया जा सकता है, उक्त अनुलग्नक का पैराग्राफ 2 उनकी *पारस्परिक* वरिष्ठता को *एक साथ* बचाता है और इसका पैराग्राफ 3 उन पर लागू नहीं होता है;

iii. 20 अप्रैल, 1961 के अनुबंध 'आर-9' की सामग्री बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, और अपीलकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं है;

iv. 19 जून, 1963 के परिपत्र पत्र (अनुलग्नक 'जी') में कोई नया निर्देश या स्पष्टीकरण नहीं है, और 1949 के परिपत्र को 1959 द्वारा संशोधित परिपत्र की जगह लेने का भी इरादा नहीं है, और किसी भी तरह से 1959 *से* पहले के परिपत्र प्रवेशकों की पारस्परिक वरिष्ठता के बारे में स्थिति को नहीं बदलता है। अनुलग्नक 'जी' स्पष्टीकरण का एकमात्र तरीका था। यदि स्पष्टीकरण कुछ भी व्यक्त करने में सक्षम है जो 1959 के परिपत्र के साथ असंगत है, तो स्पष्टीकरण को रद्द कर दिया जाना चाहिए;

v. यदि 19 जून, 1963 के परिपत्र पत्र (अनुलग्नक 'जी') को एक नया प्रशासनिक निर्देश सीआर सेवा नियम माना जाता है, तो इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और यह केवल 19 जून, 1963 से ही संचालित होगा;

vi. चूंकि प्रत्येक अपीलकर्ता की 19 जून, 1963 से पहले न केवल पुष्टि की गई थी, बल्कि उन्हें अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में भी पदोन्नत किया गया था, कथित नए निर्देश उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते थे क्योंकि केंद्र सरकार के पास प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से या यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के अधिकार को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित करने के लिए कोई नियम तैयार करने की कोई शक्ति नहीं थी;

vii. यदि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ निर्णय लिया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता अभी भी 31 मार्च, 1963 को स्वास्थ्य मंत्रालय को अग्रेषित गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट के पैराग्राफ 3 में निहित नवीनतम निर्देशों से प्रभावित नहीं हो सकती है, जिसके अनुसार अधिकारियों को अधिनियम के तहत सूची को संशोधित करते समय देखना अनिवार्य था। दिसंबर, 1959 से पहले जिन प्रवेशकों की वरिष्ठता 22 दिसंबर, 1959 के बाद की गई थी, उन्हें तभी प्रभावित किया जाना था जब "उनकी पुष्टि देर से की गई थी क्योंकि उन्हें पुष्टि के लिए फिट घोषित नहीं किया गया था" और ऐसा नहीं करने पर वे नए निर्देशों के बावजूद "अपनी (मूल) वरिष्ठता हासिल कर लेंगे। 19 जून, 1963 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (अनुलग्नक 'जी') द्वारा जारी परिपत्र पत्र में उपरोक्त यू.ओ. नोट के पैराग्राफ 3 की सामग्री की नकल करते हुए संबंधित वाक्य को हटाना, दु*र्भावनापूर्ण* था और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने गलत इरादे से ऐसा किया है।

18. दूसरी ओर, यह श्री सी.डी. द्वारा तर्क दिया गया था। हरियाणा राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल दीवान, जो इस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए पेश हो रहे थे, ने कहा कि: –

i. 1959 के परिपत्र (एनेक्स्सर 'आर-6') के निकाय को अनुलग्नक में निहित सामान्य प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए;

ii. 1959 के परिपत्र के अनुलग्नक के पैराग्राफ के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त पैराग्रफ की सामग्री उसके पैराग्राफ 3 में बताई गई बातों के अधीन है, और पैराग्राफ 2 और 3 की सही व्याख्या के अनुसार, सभी की वरिष्ठता। जिन व्यक्तियों की 22 दिसंबर तक पुष्टि नहीं हुई थी,

1959 को उनकी सेवा की अवधि के बावजूद उनकी पुष्टि की तारीख के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाना था। 1949 के नियम केवल उन लोगों के लिए सहेजे गए थे जिनकी पुष्टि 22 दिसंबर, 1959 से पहले ही हो चुकी थी;

iii. 19 जून, 1963 के परिपत्र पत्र में हटाए गए गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट के वाक्य की प्रासंगिकता केवल उन विशेष व्यक्तियों के लिए थी, जिनके लिए उस पैराग्राफ में संदर्भ दिया गया था और विवाद में सजा की चूक अनजाने में और किसी भी मामले में *प्रामाणिक थी;*

iv. उपयुक्त सरकार सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले नियमों को

बनाने के साथ-साथ प्रशासनिक निर्देश भी दे सकती है और ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार में निहित है; और

v. किसी भी मामले में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी याचिका किसी सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता के निर्धारण में किसी भी गलती को सुधारने के लिए नहीं है, भले ही इसे गलत तरीके से तय किया गया हो, खासकर जब किसी भी सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता का कथित गलत निर्धारण कार्यकारी निर्देशों पर आधारित हो क्योंकि सरकार को समय-समय पर अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता को किसी भी तरीके से तय करने का पूर्ण अधिकार है। इस तरह के मामले में न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन किया गया है।

19. मैं चाहता हूं कि मैं अब उपर्युक्त विषय पत्र में से प्रत्येक पर विचार करूंगा और इसलिए पहले श्री पीतम सिंह जैन की प्रस्तुतियों पर विचार करूंगा। मैं श्री जैन के प्रथम तर्क से सहमत हूं। यह विवादित नहीं है कि 1959 का परिपत्र सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, भले ही वे अस्थायी, स्थायी या कार्यवाहक हों। 1959 के परिपत्र से 1 जनवरी, 1944 के बाद सेवा में नियुक्त किसी भी लोअर डिवीजन क्लर्क की वरिष्ठता को परेशान करने या बदलने के लिए कोई प्रावधान या मंजूरी बताना असंभव प्रतीत होता है। 22 दिसंबर, 1959 से पहले, 1949 के स्वीकृत परिपत्र में निहित नियमों के अनुसार कौन सी वरिष्ठता तय की जा सकती थी। गृह मंत्रालय ने इस मामले को किसी संदेह में नहीं छोड़ा। 1959 के परिपत्र से संबंधित अंश पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। इस फैसले में, इसमें दिए गए निम्नलिखित कथनों (परिपत्र के उद्धरण में आंशिक रूप से रेखांकित) के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि 1944 से पहले के नियम को बदलने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भी प्रभावित करना था जिन्हें 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किया गया था: -

i. यह कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों की वरीयता में 1949 के निर्देशों को "लागू करने का अब कोई कारण नहीं था"। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों की वरिष्ठता 1949 के परिपत्र के आधार पर पहले ही तय की जा चुकी थी, अर्थात, वे व्यक्ति, जिन्हें 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किया गया था, नए नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विपरीत संकेत न दिया गया हो;

ii. 1959 के परिपत्र के पैराग्राफ 2 में "इसके बाद" अभिव्यक्ति का उपयोग। 1959 के परिपत्र

के अनुलग्नक में निहित सिद्धांतों का पालन किसकी वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए व्यक्तियों की श्रेणी को संबंधित संचार के पैराग्राफ 2 में वर्णित किया गया था, "इन निर्देशों की तारीख के बाद विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त सभी व्यक्ति"।

iii. 1959 के परिपत्र के अनुलग्नक को विशेष रूप से और विशेष रूप से मुख्य संचार में केवल उन निर्देशों की तारीख के बाद नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए संदर्भित किया गया है। चीजें अन्यथा हो सकती थीं यदि परिपत्र पत्र में संलग्न सामान्य सिद्धांत मुख्य बात थे और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल एक कवर पत्र के साथ अग्रेषित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था;

iv. 1959 के पत्र के पैरा, 1 में उल्लिखित चार पत्रों में से पहला 1949 का परिपत्र था, जिसे 1959 के पत्र के पैराग्राफ 3 द्वारा रद्द कर दिया गया था। विवादित पत्र के पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि इसके पैराग्राफ 1 में उल्लिखित विभिन्न ज्ञापनों में निहित निर्देशों को रद्द किया जा रहा है, "तारीख से पहले विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त पार्सन्स की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध को छोड़कर।

दिसंबर, 1959 का ज्ञापन। उपर्युक्त वाक्य की एकमात्र व्याख्या यह है कि 22 दिसंबर, 1959 से पहले विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के लिए जो अतिरिक्त श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 1949 का परिपत्र रद्द नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि उक्त श्रेणी के लोगों के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों अपीलकर्ता आते हैं, 1949 का परिपत्र लागू रहा।

v. यह फिर से कहा गया कि "अनुबंध में सन्निहित संशोधित सामान्य सिद्धांत पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होंगे" लेकिन केवल 22 दिसंबर, 1959 से प्रभावी होंगे। यह दूसरा स्थान है जहां अनुलग्नक का संदर्भ दिया गया है।

20. इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि यदि यह परिपत्र 1 परिपत्र के साथ है, तो 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किए गए अपीलकर्ताओं को परिवर्तन से प्रभावित नहीं होने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए 1949 के नियम को लागू माना गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि यदि ऐसा होता, तो अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता को परेशान करना और उनके परिणामस्वरूप प्रत्यावर्तन को उचित नहीं ठहराया जा सकता था। जहां तक 1959 के परिपत्र की पुनरावलोकन के संबंध में व्याख्या का संबंध है, यह मामला मर्विन कोंटिरिहो और अन्य बनाम *शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और अन्य* (1) मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पैरा 4 में

(उसी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए) निम्नलिखित टिप्पणियों से भी समाप्त होता प्रतीत होता है : –

> "ऐसा प्रतीत होता है कि 1959 तक, विस्थापित सरकारी कर्मचारियों आदि को समायोजित करने के लिए 1949 का परिपत्र अपने आप काम कर चुका था-
> इसलिए, 12 दिसंबर, 1959 को, भारत सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांतों वाला एक और परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र द्वारा, 1949 के परिपत्र और युद्ध सेवा उम्मीदवारों जैसे विशेष प्रकार की भर्ती से निपटने के लिए जारी किए गए कुछ अन्य परिपत्रों को रद्द कर दिया गया था, और उसके बाद वरिष्ठता 1959 के परिपत्र द्वारा निर्धारित की जानी थी, जिसमें कहा गया है कि

निर्देश उक्त परिपत्रों में निहित ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था और भविष्य में वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए सामान्य सिद्धांतों के बजाय उन निर्देशों को लागू करने का कोई कारण नहीं था। भविष्य के लिए 1959 के परिपत्र में वरिष्ठता तय करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। ये सिद्धांत पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होने थे, लेकिन उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी हो गए थे, कुछ आपत्तियों के अधीन जिनके साथ हम चिंतित नहीं हैं।"

21. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 22 दिसंबर, 1959 के पत्र के अनुलग्नक को पढ़ना बेकार है, क्योंकि अनुलग्नक की सामग्री केवल उन व्यक्तियों पर लागू की गई है जो 22 दिसंबर, 1959 के बाद नियुक्त किए गए थे, न कि उन लोगों पर जिन्हें उक्त महत्वपूर्ण तिथि से पहले नियुक्त किया गया था। श्री सीडी दीवान की प्रस्तुति के अनुसार, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के विद्वान वकील श्री राजिंदर सच्चर द्वारा भी अपनाया गया था, 1959 का परिपत्र केवल उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना था, जिन्हें उस तारीख से पहले ही पुष्टि की गई थी। संक्षेप में, उत्तरदाताओं के वकील 1959 के परिपत्र के पैराग्राफ 2 और 3 में "नियुक्त" शब्द के लिए "पुष्टि" शब्द पढ़ना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए कोई वारंट नहीं है। इस स्थिति में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 22 दिसंबर, 1959 के भारत सरकार के परिपत्र पत्र ने स्पष्ट रूप से 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता की पुष्टि की तारीख से प्रभावित होने से बचाया था, और उनकी वरिष्ठता केवल सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी थी।

22. तथापि, मुझे श्री पीतम सिंह जैन के दूसरे निवेदन में कोई बल नहीं दिखता। यदि 22 दिसंबर, 1959 के भारत सरकार के पत्र के अनुलग्नक को अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों के मामले को नियंत्रित करने के लिए माना जा सकता है, जिन्हें उस पत्र की तारीख से पहले केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त किया गया था, तो अपीलकर्ता, मेरी राय में, इसके पैराग्राफ 3 के प्रभाव से बच नहीं सकते थे। अनुबंध के पैराग्राफ 2 में पहली बात यह है कि जिन व्यक्तियों को 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किया गया था (चाहे वह वास्तविक या कार्यवाहक क्षमता में हो, बाद की क्षमता को अस्थायी क्षमता में भी शामिल किया गया है) को उन्हें पहले से सौंपी गई अपनी प्रासंगिक वरिष्ठता को बनाए रखना था, या ऐसी वरिष्ठता जो उन्हें उनके मामलों पर लागू मौजूदा आदेशों के तहत सौंपी जा सकती है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से "प्रावधानों के अधीन" बनाया गया है| इसका अर्थ है कि उपर्युक्त संदर्भ में पैराग्राफ 2 और 3 के बीच संघर्ष के मामले में यह तीसरा पैराग्राफ है जो प्रबल होगा, क्योंकि दूसरा इसके अधीन है। पैराग्राफ 2 में केवल एक और बात का प्रावधान किया गया है कि 22 दिसंबर, 1959 से पहले नियुक्त किए गए वी लोग "*उस* ग्रेड के अन्य सभी लोगों से वरिष्ठ होंगे"। पैराग्राफ 2 के दूसरे भाग का प्रभाव यह है कि किसी भी मामले में 22 दिसंबर, 1959 के बाद नियुक्त कोई भी व्यक्ति उस तारीख से पहले नियुक्त व्यक्तियों के ब्लॉक के किसी भी सदस्य से वरिष्ठ होने का हकदार नहीं होगा। लेकिन यह फिर से "पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के अधीन" है। अनुच्छेद 3 केवल अनुच्छेद 4 के अधीन है, और यह स्वीकार किया जाता है कि पैराग्राफ 4 का हमारे मामले

पर कोई प्रभाव नहीं है। पैराग्राफ 3 के अनुसार, "प्रत्येक ग्रेड के स्थायी अधिकारियों को उन व्यक्तियों से वरिष्ठ दर्जा दिया जाएगा जो उस ग्रेड में कार्य कर रहे हैं। पूरा पैरा 2 वरिष्ठता के मामले में पैराग्राफ 3 के अधीन होने के कारण, दोनों गुटों में से किसी में भी अर्थात दिसंबर, 1959 से पहले और बाद में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए केवल पुष्टि की तारीख ही प्रासंगिक होगी। इसलिए, मैं कहूंगा कि यदि 1959 के पत्र का अनुलग्नक अपीलकर्ताओं पर लागू होता है, और परिपत्र पत्र द्वारा ही स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया था, तो अपीलकर्ता अपनी वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण और परिणामस्वरूप निचले रैंक पर उनके प्रत्यावर्तन के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकते थे।

23. एक बार फिर श्री जैन का यह कहना सही प्रतीत होता है कि भारत सरकार का 20 अप्रैल, 1961 का पत्र (अनुलग्नक 'आर-9') इस मामले पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है। जिस व्यक्त विषय के साथ वह पत्र संबंधित है, उसका उल्लेख पत्र के शीर्ष पर निम्नलिखित भाषा में किया गया है: –

> "विषय- केंद्रीय सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए सामान्य सिद्धांत, सीधी भर्ती की वरिष्ठता से संबंधित व्याख्या, जिनकी पुष्टि योग्यता के मूल क्रम से अलग क्रम में की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति / टी की पसलियों से संबंधित लोग भी शामिल हैं।

24. हमें उक्त पत्र की सामग्री के माध्यम से लिया गया है और सभी वकील इस बात पर सहमत थे कि इसमें निहित कुछ भी हमारे उद्देश्यों के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं है।

25. यह हमें 19 जून, 1963 के अनुबंध 'जी' पर ले जाता है। इस पत्र का मतलब 1959 के पत्र को निरस्त करना भी नहीं है।

उसमें निहित कुछ भी। पत्र के पैराग्राफ 1 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ श्रेणियों की वरिष्ठता 22 दिसंबर, 1959 के पत्र के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित की जानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि संदर्भ केवल अनुलग्नक के लिए किया गया था, न कि 22 दिसंबर, 1959 के आक्षेपित पत्र के मुख्य भाग के लिए। उक्त पत्र का पैरा 1(iii) जिसने पूरी कठिनाई पैदा की है, निम्नलिखित शब्दों में है -

> "इसके अलावा, 22 दिसंबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन में निहित वरिष्ठता सिद्धांतों के अनुसार, 22 दिसंबर, 1959 से पहले पुष्टि किए गए व्यक्तियों *को उस तारीख के बाद पुष्टि किए गए अन्य लोगों की तुलना* में वरिष्ठ माना जाना चाहिए।"

26. ऐसा प्रतीत होता है कि यह भ्रम मूल दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द 'नियुक्त' के स्थान पर 'पुष्टि' शब्द के त्रुटिपूर्ण उपयोग के कारण उत्पन्न हुआ है, यानी 1959 के परिपत्र में। ऐसा लगता है कि किसी ने एक तरफ परिपत्र के पैराग्राफ 2 और 3 की सामग्री को मिला दिया है, और दूसरी तरफ अनुलग्नक के पैराग्राफ 2 और 3 की सामग्री को मिला दिया है। 19 जून, 1963 के पत्र के पैरा 2 में फिर से कहा गया है कि 22 दिसंबर, 1959 से पहले पुष्टि किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची और उस तारीख के बाद पुष्टि की गई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को 5 मार्च, 1963 के पत्र में निहित निर्णय के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए (पहले से ही इस फैसले में उल्लिखित)। अनुलग्नक 'जी' गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया था, जो सभी संबंधितों के अनुसार विवाद वाले विषय पर निर्देश जारी करने के लिए सक्षम था। यह 20/31 मार्च, 1963 के यू.ओ. नोट पर आधारित है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय को गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। इस मामले के उस दृष्टिकोण में, यह संभवतः तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि अनुबंध 'जी' में कुछ भी निहित है जो 1949 के परिपत्र के विपरीत है, तो वरिष्ठता के नियम को उस हद तक संशोधित माना जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के संशोधन को मान भी लिया जाए, तो इसे गृह मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे गए पत्र के अनुसार माना जाएगा, न कि अनुबंध 'जी' में निहित उसके डिस्क्रेपेंट संस्करण के अनुसार। श्री जैन के सातवें विवाद का निपटान करते समय इस संबंध में विसंगति को दूर किया जाता है।

27. श्री पीतम सिंह जैन द्वारा उठाए गए पांचवें और छठे बिंदु इस धारणा पर आधारित

हैं कि 19 जून, 1963 को लिखा गया पत्र, और गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट, जिस पर यह आधारित था, में 1949 के नियम की तुलना में पुष्टि की तारीख के आधार पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए एक नया नियम शामिल था, जिसके तहत वरिष्ठता को केवल सेवा की लंबाई के आधार पर तय किया जाना था। यदि ऐसा था, तो नए नियम को गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट में निहित माना जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में सवाल यह उठता है कि क्या मई या जून, 1963 में लागू किए गए नियम में कोई बदलाव, यदि कोई हो, अपीलकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है, जिनकी पुष्टि मार्च, 1960 में की गई थी।

28. लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को (i) उपयुक्त विधायिका के अधिनियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है; (ii) जब तक उपयुक्त विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंध नहीं किया जाता है, और जहाँ तक ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है, तब तक संघ की सेवाओं के संबंध में भारत के राष्ट्रपति या उसके प्रतिनिधि द्वारा और संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि द्वारा राज्य की सेवाओं के संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा; और (iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी वैध कार्यकारी अनुदेशों और प्रशासनिक निदेशों द्वारा, जैसा भी मामला हो।

29. जहां तक विधायी अधिनियमों का संबंध है, यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि किसी भी संवैधानिक अवरोध के अभाव में, एक सक्षम विधायिका अपने द्वारा अधिनियमित कानून के किसी भी प्रावधान को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी संचालन दे सकती है। क्या संविधियों की व्याख्या का यह सामान्य सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 309 के दायरे में या किसी अन्य सक्षम प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों पर लागू होता है या नहीं, इस फैसले में हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में यह सवाल ही नहीं उठता है। न ही हम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों से सीधे संबंधित हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि केरल उच्च न्यायालय की दो पूर्ण पीठों ने राम औतार पांडे बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा* (2), मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया है । कि किसी राज्य के राज्यपाल या उसके नामिती को अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति केवल संभावित

नियम बनाने तक ही सीमित नहीं है और प्रतीत होती है पूर्वव्यापी प्रभाव सी के साथ नियमों के निर्माण को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक होना। सी. के. *माधवन नायर* बनाम *रजिस्ट्रार, केरल उच्च न्यायालय, और अन्य* (3), और *हरि हरन पिल्लई* बनाम *केरल राज्य* (4)। जब यह प्रश्न मैसूर राज्य बनाम *पद्मनाभाचार्य और अन्य* (5) मामले में उच्चतम न्यायालय के के समक्ष उठा लॉर्डशिप ने अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैसूर राज्य के राज्यपाल द्वारा 25 मार्च, 1959 को जारी अधिसूचना की वैधता के संबंध में कहा कि दो विशेष तिथियों के बीच 55 वर्ष की आयु में व्यक्तियों की अवैध सेवानिवृत्ति को राज्यपाल द्वारा मान्य करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अधिसूचना को रद्द कर दिया; (i) अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन ऐसे नियम पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इस नियम को सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को शासित करने के लिए नहीं कहा जा सकता था; (ii) किसी आदेश को मान्य करने की शक्ति जो अमान्य थी जब वह बनाया गया था, भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए राज्यपाल को दी गई शक्ति से प्रवाहित नहीं होता था; और (iii) यदि लागू अधिसूचना को प्रभावी किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करेगा। अधिसूचना की वैधता पर हमले के संबंध में इसकी पुनरावलोकन के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को किसी भी अर्थ में अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि निम्नानुसार कहा गया है:

> "इस मामले के इस दृष्टिकोण में, यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या इस तरह का एक नियम जो विशुद्ध रूप से पूर्वव्यापी है, राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम के रूप में बनाया जा सकता है।"

30. यह तर्क देना संभव हो सकता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव सेवा नियमों को दिया जा सकता है यदि ऐसे नियमों को बनाने की शक्ति एक क़ानून द्वारा नियम बनाने वाले प्राधिकरण को प्रदान की जाती है।

3. 1967 एस.एल.आर. 298 (एफ.बी.)।
4. 1967 एस.एल.आर. 553 (एफ.बी.)।
5. 1967 एस.एल.आर.

सांविधिक नियमों के संबंध में जो भी स्थिति हो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार के पास किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारी पूर्वव्यापी रूप से अपनी सहमति के बजाय केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा पूर्वव्यापी रूप से जब तक कि सरकार कुछ वैध कानून के स्पष्ट प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न हो। जो अधिकार किसी सरकारी कर्मचारी को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और जो लाभ वह पहले से मौजूद कार्यकारी निर्देश या प्रशासनिक निर्देश के तहत या उसके आधार पर पहले से ही प्राप्त कर चुका है, उन्हें किसी अन्य कार्यकारी निर्देश या केवल प्रशासनिक निर्देश द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं छीना जा सकता है। यदि यह कानून है, और वास्तव में मैं ऐसा समझता हूं, तो दिसम्बर, 1959 से पहले नियुक्त किए गए व्यक्तियों, जिनकी पुष्टि जून, 1963 से पहले कर दी गई थी, की वरिष्ठता के पक्ष में बचत अनुलग्नक द्वारा प्रभावित नहीं की जा सकती है। जी जो उस महीने (जून, 1963 में) जारी किया गया था। प्रत्येक अपीलकर्ता की पुष्टि मार्च, 1960 में की गई थी। इसलिए मई या जून, 1963 में लागू किए गए परिवर्तन के आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव से उनकी वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

32. यह मुझे श्री जैन के अंतिम निवेदन पर लाता है। मुझे उसी में बल मिलता है। यदि यह माना जा सकता है कि या तो अपीलकर्ताओं को 1959 के परिपत्र के अनुलग्नक के प्रभाव से नहीं बचाया गया था या मई या जून, 1963 में लागू 1949 के नियम में निहित रियायत को वापस लेने का पूर्वव्यापी प्रभाव भी हो सकता है, तो मैं मानता कि सरकार गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट में निहित नियम की अपनी व्याख्या से बाध्य है। सेवा की अवधि के आधार पर उच्च वरिष्ठता के बावजूद उनके कनिष्ठों की तुलना में बाद में पुष्टि की गई, 1949 के नियम के अनुसार उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी यदि उन्हें पुष्टि के लिए फिट घोषित नहीं किए जाने के अलावा किसी अन्य कारण से देर से पुष्टि की गई थी। प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 से 11 की पुष्टि के बाद तक अपीलकर्ताओं की पुष्टि स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें पुष्टि के लिए फिट नहीं पाया गया था। दूसरी ओर, पार्टियों का स्वीकार किया गया मामला यह है कि अपीलकर्ताओं की पुष्टि में देरी हुई क्योंकि पहली रिक्तियां जो हुईं, वे विशेष समुदायों या वर्गों के लिए आरक्षित थीं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 से 11 जो अपीलकर्ताओं की सेवा में जूनियर थे, की पुष्टि की जानी थी।

33. श्री सी डी दीवान द्वारा उठाए गए पहले मुद्दे का मेरे द्वारा पहले ही निपटान कर दिया गया है और मैंने कहा है कि 1959 के परिपत्र की स्पष्ट भाषा के अनुसार, उन व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उसके अनुलग्नक को पढ़ने का कोई अवसर नहीं है।

परिपत्र पत्र के मुख्य भाग द्वारा संदर्भ को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार मैं श्री पीतम सिंह जैन के दूसरे तर्क का समाधान करते हुए श्री दीवान के दूसरे तर्क को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। मैंने माना है कि यदि 1959 के परिपत्र का अनुलग्नक अपीलकर्ताओं पर लागू होता है, तो वे प्रतिवादी संख्या 4 से 11 से जूनियर बनाए जाने की कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। परिपत्र पत्र से हटाए गए भारत सरकार के यू.ओ. नोट के हिस्से को नोट के उस पैराग्राफ में उल्लिखित व्यक्तियों तक सीमित रखने के लिए भारत सरकार के यू.ओ. नोट के हिस्से के प्रभाव के बारे में राज्य के वकील द्वारा लिया गया रुख गलत है। संबंधित नियम की अलग-अलग व्याख्या को अलग-अलग व्यक्तियों पर लागू करने का कोई कारण नहीं है, और जो कुछ विचाराधीन यू.ओ. नोट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित व्यक्तियों पर लागू था, उसे समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। किसी अन्य पाठ्यक्रम को अपनाने से संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत अपीलकर्ताओं को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

34. उप महाधिवक्ता की तीसरी दलील के संबंध में, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिपत्र पत्र अनुलग्नक 'जी' से गृह मंत्रालय के नोट में होने वाले प्रासंगिक वाक्य को जानबूझकर हटाया गया था या नहीं। यह स्वीकार किया गया है कि परिपत्र पत्र उक्त नोट पर आधारित था और गृह मंत्रालय इस तरह का निर्देश देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, नियम को माना जाएगा, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, जैसा कि गृह मंत्रालय के यू.ओ. नोट में निहित है।

35. अपीलकर्ताओं की छठी दलील के संबंध में मैंने जो कुछ कहा है, उसके मद्देनजर श्री दीवान की चौथी दलील में अलग से कोई जवाब नहीं मांगा गया है। पहले से दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं यह कहूंगा कि सरकार के पास केवल कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने कामकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की ऐसी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है।

36. एकमात्र अन्य तर्क जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार के दायरे से संबंधित है। श्री दीवान ने उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों अर्थात् नागेन्द्र नाथ बोरा और अन्य बनाम *पहाड़ी* प्रभाग और अपील आयुक्त, *असम और अन्य* (6), में की गई कतिपय टिप्पणियों पर भरोसा किया है, पृष्ठ 413, और) *आर. अब्दुल्ला रोथर* बनाम *राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, मद्रास और अन्य* (7). *नागेंद्र नाथ बोरा का मामला* (सुप्रा) देशी

स्पिरिट की दुकानों के निपटारे से संबंधित है। उस मामले में रिट याचिकाकर्ता नागेंद्र नाथ बोरा पर विचाराधीन शराब की दुकान को निपटाने के दूसरे आबकारी अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ असम उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन अवैध रूप से किया गया था। जब मामला विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो हाईकोर्ट का आदेश पलट गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान संबंधित आबकारी आयुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निपटारे पर नागेंद्र नाथ को दुकान का कब्जा बहाल कर दिया गया था, जो कुछ महीनों तक इसके फल का आनंद ले सकते थे, जिसके बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, जिसके लिए दुकान को फिर से प्रतिवादियों पर तय किया गया। आबकारी आयुक्त ने अंततः नागेंद्र नाथ पर दुकान का निपटारा किया। दूसरे पक्ष द्वारा दायर रिट याचिका को तब असम उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी, जिसने सभी निविदाओं पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। आबकारी अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया था और उसके आदेश में रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियों के कारण गड़बड़ी हुई थी। यह उस संदर्भ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो सुझाव दिया गया था, वह यह था कि अपीलीय प्राधिकरण ने कुछ कार्यकारी निर्देशों का पालन नहीं किया था, और यह मानते हुए भी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कुछ निर्देशों की अवहेलना की गई थी, उन निर्देशों का पालन न करने से अपीलीय प्राधिकरण की अपना चयन करने की शक्ति प्रभावित नहीं हो सकती है या पारित आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकती है। यह। बी.पी. सिन्हा, जे., जिन्होंने न्यायालय की ओर से बात की, फिर निम्नानुसार टिप्पणी करने के लिए आगे बढ़े: –

"संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र यह देखने तक सीमित है कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अधिक अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में कानून को सही ढंग से प्रशासित करते हैं। अधिनियम ने कानून को प्रशासित करने के लिए अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकरणों का अपना पदानुक्रम बनाया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जब तक वे

अधिकारी कानून की मूल भावना के भीतर काम करते हैं, उच्च न्यायालय को उस तरीके से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें उन शक्तियों का उपयोग किया गया है। वर्तमान मामलों में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी शक्तियों की सीमाओं से परे चला गया प्रतीत होता है।

37. *नागेंद्री नाथीबोरा का मामला* वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ताओं के अधिकार को प्रभावित करता प्रतीत होता है। नागेंद्र *नाथ बोरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने जो देखा था, वह* सर्टिओररी *की प्रकृति में रिट के मुद्दे* से संबंधित था, जो केवल यह देखने से संबंधित है कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय अर्ध-न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अधिक अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे समक्ष इस मामले में शिकायत यह नहीं है कि सरकार किसी उच्च प्राधिकारी के कुछ कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रही है, बल्कि एक कार्यकारी निर्देश के आधार पर अपीलकर्ताओं के नागरिक अधिकार को छीन लिया है जो उन पर लागू नहीं होता है। न ही *आर अब्दुल्ला रोथर* (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां प्रतिवादियों की सेवा करती प्रतीत होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोथर की अपील मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसमें *क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज परमिट देने के मामले में सर्टिओरी* की रिट के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था । उस संदर्भ में यह देखा गया कि यदि सरकारी आदेशों में केवल कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देश शामिल हैं, तो उनका उल्लंघन, भले ही पेटेंट हो, प्रमाण पत्र की रिट के मुद्दे को उचित नहीं ठहराएगा, और यह कि कार्यकारी आदेश उचित रूप से तथाकथित किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कानूनी दायित्व नहीं डालते हैं जिनके मार्गदर्शन के लिए वे जारी किए जाते हैं। रिलायंस को *नागेंद्र नाथ बोरा के मामले* (सुप्रा) में उनके लॉर्डशिप के पहले फैसले पर रखा गया था। वर्तमान मामले में *सर्टिओररी* की प्रकृति में रिट जारी करने का कोई सवाल नहीं है और न ही अपीलकर्ता किसी भी कार्यकारी निर्देशों को लागू करने की मांग करते हैं। उन्हें पहले से ही 1949 में जारी किए गए बाध्यकारी कार्यकारी निर्देशों का लाभ मिल चुका था, अगर वे तथाकथित हो सकते थे। जिस शिकायत के साथ वे अदालत में आए थे, वह यह थी कि सेवा में उनकी वरिष्ठता के मामले में उन्हें पहले से ही दिए गए नागरिक अधिकारों को कथित कार्यकारी निर्देशों की आड़ में प्रभावित किया जा रहा था, जो या तो मौजूद नहीं थे या उन पर लागू नहीं थे। अपीलकर्ता की ऐसी शिकायत को उचित पाया गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है उच्चतम न्यायालय ने कभी कहा था कि इस तरह की स्थिति के बावजूद उच्च न्यायालय के पास संबंधित व्यक्तियों को कोई राहत देने का अधिकार नहीं होगा। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का संबंध है, इसे के सुब्बा राव, जे (जैसा कि वह तब थे) *ने द्वारका नाथ* बनाम

आयकर अधिकारी, विशेष सर्कल, डी वार्ड, कानपुर और एक अन्य (8), *में देखा था,* जैसा कि निम्नानुसार है: –

"अनुच्छेद 226 को व्यापक वाक्यांशविज्ञान में निहित किया गया है और यह *प्रथम दृष्टया* उच्च न्यायालय को अन्याय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है, जहां भी यह पाया जाता है। शक्ति की प्रकृति, किन उद्देश्यों और जिस व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसका वर्णन करने में एक विस्तृत भाषा संविधान द्वारा डिजाइन की गई थी। उच्च न्यायालय इंग्लैंड में समझे जाने वाले विशेषाधिकार रिट की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है; लेकिन उन रिटों का दायरा 'प्रकृति' शब्द के उपयोग से भी व्यापक हो जाता है, जो अभिव्यक्ति भारत में जारी की जा सकने वाली रिट की तुलना इंग्लैंड के साथ नहीं करती है, बल्कि केवल उनसे एक सादृश्य खींचती है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय इस देश की विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहतों को ढालने में सक्षम हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के दायरे को विशेषाधिकार रिट जारी करने की अंग्रेजी न्यायालयों की शक्ति के साथ समानता करना इंग्लैंड जैसे तुलनात्मक रूप से छोटे देश में सरकार के एकात्मक रूप के साथ वर्षों से विकसित अनावश्यक प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को लागू करना है। इस तरह का निर्माण अनुच्छेद के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

38. यह भी महत्वपूर्ण है कि 1959 के परिपत्र 3 , का उल्लेख किया गया था और इसकी व्याख्या *[मेरिन कोंटिन्हो और अन्य बनाम अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के निर्णय] के पैराग्राफ 4 में की गई थी । सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और अन्य* (9). यदि उप महाधिवक्ता हमसे पूछने में सही हैं तो नहीं

(आठ) ए.आई.आर. 1966 एस.सी.

(नौ) ए.आई.आर. 1967 एस.सी.

किसी कार्यकारी अनुदेश पर ध्यान देने और उसे लागू करने के लिए वह हमें मई या जून, 1963 के पत्र या दिसंबर, 1959 के अनुलग्नक 'आर6' पर भी गौर करने के लिए नहीं कह सकते हैं, जिसके आधार पर ही आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, यदि उन निर्देशों पर गौर नहीं किया जा सकता है, तो अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता में बदलाव के परिणामस्वरूप उन्हें उच्च रैंक से निचले रैंक में वापस भेज दिया गया है। किसी भी नियम, कानून या वैध निर्देशों द्वारा उचित ठहराया जाना संविधान के अनुच्छेद 161 (1) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा। एक ऐसे मामले के बीच कुछ अंतर है जहां कोई व्यक्ति इस शिकायत के साथ अदालत में आता है कि उसे कुछ कार्यकारी निर्देशों का पालन न करने के कारण परिवहन परमिट या देशी शराब की दुकान के लिए लाइसेंस नहीं मिला है, और जिस मामले में एक नागरिक का मौजूदा अधिकार छीन लिया जाता है और उक्त अधिकार से किसी नागरिक को वंचित करने का एकमात्र कारण अपेक्षित कार्यकारी निर्देश है जो या तो करता है। मौजूद नहीं है या संबंधित व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। जबकि पहले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की घोषणा लागू होगी, संबंधित व्यक्ति के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए मामलों की बाद की श्रेणी तक इस न्यायालय के हाथों में कोई रोक नहीं है।

39. हाल ही में एक रिपोर्ट किए गए फैसले में स्टेर सुप्रीमर कौर जी *जे फर्नांडीज* बनाम *मैसूर* राज्य और अन्य (10) के अनुसार, यह माना गया था कि अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य अपने सेवकों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है कि कुछ परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाए, लेकिन यह ऐसे निर्देशों को वैधानिक नियम नहीं बनाएगा जो कुछ परिस्थितियों में न्यायसंगत हैं, और यह कि ऐसे कार्यकारी निर्देशों में वैधानिक नियमों की शक्ति है, यह दर्शाया जाना चाहिए कि वे या तो किसी संविधि द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त प्राधिकार के अधीन या उसके लिए उपबंधित संविधान के उपबंधों के अधीन जारी किए गए हैं। हालांकि अपीलकर्ता ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं दिखा पाए हैं जिसके तहत 1949 का परिपत्र, 1959 के निर्देश और उसके बाद के पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस मामले में कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है क्योंकि अपीलकर्ता इनमें से किसी भी निर्देश के आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल आक्षेपित आदेशों का विरोध कर रहे हैं और संशोधित वरिष्ठता सूची का विरोध कर रहे हैं, जिसे पारित किया गया है और कथित कार्यपालिका के आधार पर उनके पूर्वाग्रह के लिए तैयार किया गया है। निर्देश।। अपीलकर्ता लागू करने की मांग नहीं कर रहे हैं-

इस तरह के कोई भी निर्देश, लेकिन केवल उनके गलत पढ़ने के प्रभाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

40. पूर्वगामी कारणों से इस अपील को अनुमति दी जाती है, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और लागू किए गए आदेशों को अपीलकर्ताओं पर लागू नहीं माना जाता है। नतीजतन, संशोधित वरिष्ठता सूची (अनुबंध 'एच-1') को अमान्य माना जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को एक संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है ताकि अपीलकर्ताओं को उनकी मूल वरिष्ठता बहाल की जा सके जो ऊपरी डिवीजन क्लर्क के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले मौजूद थी। यदि उनकी मूल वरिष्ठता की बहाली के परिणामस्वरूप, वे अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति के हकदार हैं, तो **केंद्र** सरकार उन्हें इससे इनकार नहीं करेगी। मामले की परिस्थितियों में पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

मेहर सिंह सी.जे. - मैं सहमत हूं।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा।